

15.05.18

राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियुक्त चंद्रभान न्यायिक निरोध में गोहद जेल से पेश।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत है।

आरोप तर्क हेतु समय चाहा, जो दिया गया।

इसी समय अभियुक्त/आवेदक चंद्रभान सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण श्रीवास्तव द्वारा एडवोकेट मेमो सहित प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० पेश कर उसके संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है। उक्त जमानत आवेदन विधिवत दर्ज हो।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण श्रीवास्तव द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया कि आवेदक के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद ने विरोधियों की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि कथित अपराध से आवेदक का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक करीब ढाई महीने से न्यायिक निरोध में है। यदि आवेदक अधिक दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा तो उसके परिवार के सामने भूखा मरने की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। आवेदक अभियोजन साक्ष्य को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा और न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण प्रकरण का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 05.03.18 को दिन के करीब 12 बजे फरियादिया अनीता अपने घर पर थी, तभी उसके चचिया ससुर राजेश की भतीजी पीड़िता ममता आयु 9 वर्ष को लेकर उसके पास आये और बोले ममता रो रही है उससे पूछो कि क्या हुआ है तो पीड़िता ममता ने रोते हुये तोतली आवाज

में बताया कि जब वह स्कूल से आ रही थी, तो रास्ते में चंद्रभान उसे मिला और वह उसे अपने घर पुराना घनश्यामपुरा में ले गया और उसे दस रुपये दिये तथा बोला किसी को कुछ मत बोलना और उसकी बुरी नियत से चडडी उतारी तो वह रोने लगी। अभियुक्त चंद्रभान उसे चुप कर रहा था तो उसके बाबा राजू वहां पहुंच गये और ममता को उसके पास ले आये।

उक्त घटना के संबंध में फरियादिया अनीता द्वारा थाना गोहद में लिखित रिपोर्ट किये जाने पर अभियुक्त चंद्रभान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 41/18 धारा 354 भा0दं0सं0 एवं धारा 9-एम व 10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त अपराध अति गंभीर प्रकृति का होना दर्शित है, क्योंकि अभियोजन के अनुसार अभियुक्त द्वारा 09 वर्षीय अबोध बालिका को दस रुपये का लालच देकर बुरी नियत से उसे अपने घर में ले जाने के पश्चात उसकी चडडी उतार दिये जाने पर अचानक से उसके चिल्ला दिये जाने पर चिल्लाहट की आवाज सुनकर मौके पर सौभाग्य से उसके बाबा राजू को पहुंच जाने के कारण घटना टल जाना बताया गया है और अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी प्रकरण के साथ संलग्न है, जिसमें उसके विरुद्ध चोरी व डकैती के अन्य मामले दर्ज होना बताया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक चंद्रभान को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 18.06.18 को पेश हो।

सतीश कुमार गुप्ता
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड